बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

आदेश

पटना, दिनांक 28.9.16/

संख्या–13/मु०10–06/2010 (अंश–I) 2121 /माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1489/2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन सरकारी सेवा में चतुर्थ वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर करने हेतु शर्तों/मापदण्ड निर्धारित करते हुए समायोजन हेतु भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की पहचान एवं वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या–934 दिनांक 14.04.2016 के द्वारा सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमिटि का गठन किया गया है।

2. इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Civil Review संख्या–344/2016 दिनांक 10.08.2016 को पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन हेतु निर्धारित शर्तों को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पुनर्निधारित किया जाता है :–

(i) संबंधित अनुदेशकों द्वारा समायोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक 26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया हो।

(ii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहें हो।

3. समायोजन हेतु शर्तों के पूनर्निधारण संबंधी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कमिटि दिनांक 20.10.2016 तक केवल वैसे भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों से आवेदन प्राप्त करेंगी, जो पूर्व में किसी कारण से आवेदन समर्पित नहीं कर पाये हों। वैसे अनुदेशक जो पूर्व में कमिटि के समक्ष अपना आवेदन समर्पित कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. कमिटि सभी नये आवेदकों से नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र (Affidavit) प्राप्त करेंगी जिसमें अंकित हो कि समर्पित सभी दस्तावेज सही है तथा इनके गलत/जाली पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. कमिटि सभी नये आवेदकों से पहचान पत्र की एक सत्यापित प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ प्राप्त करेंगी।

6. कमिटि सभी नये आवेदकों से तीन फोल्डर में दस्तावेज यथा– जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र, आरक्षण कोटि का लाभ लेने हेतु प्रमाण–पत्र, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, लगातार तीन वर्ष तक अनुदेशक के रूप में कार्यरत रहने का प्रमाण–पत्र इत्यादि प्राप्त करेंगी, जिसमें से दो फोल्डर में संलग्न दस्तावेजों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) मूल दस्तावेजों से मिलाते हुए प्रतिहस्ताक्षरित कर कमिटि के समक्ष विचारार्थ रखेंगे।

7. कमिटि दिनांक 20.10.2016 तक प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुदेशकों की सूची जिला मुख्यालय में दिनांक 29.10.2016 तक प्रदर्शित करते हुए दिनांक 10.11.2016 तक उसपर दावा/आपत्ति प्राप्त करेंगी।

8. कमिटि प्राप्त दावा/आपत्ति को निष्पादित कर नियमानुसार वरीयता निर्धारित करते हुए दिनांक 20.10.2016 तक प्राप्त नये आवेदन एवं पूर्व से प्राप्त आवेदनों में से केवल वैसे अनुदेशक जो उपर्युक्त संशोधित शर्तो का पूर्ण अनुपालन करते हों कि सूची संलग्न विहित जाँच प्रपत्र में अंकित करते हुए इसके साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित फोल्डर को 30.11.2016 तक जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

9. कमिटि द्वारा इस संबंध में पूर्व में प्रेषित प्रतिवेदन को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

10. अंकनीय है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कई अवमाननावाद दायर हैं, जो सुनवाई हेतु सूचिबद्ध हैं। अतएव निर्धारित तिथि अर्थात 30.11.2016 तक वांछित प्रतिवेदन सूची सहित कराया जाना अतिआवश्यक है। अगर कमिटि द्वारा प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कोई विपरित आदेश पारित किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जबावदेही कमिटि की होगी।

27/9/16

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–2121/ पटना, दिनांक–28.9.16/

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/9/16

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–2121/ पटना, दिनांक–28.9.16/

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

27/9/16

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA संख्या–1489/2011 एवं Civil Review संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशको के समायोजन हेतु विवरणी सह जाँच प्रत्रक

जिला का नाम– .....
जिला शिक्षा पदा0 द्वारा प्रतिवेदित
कुल अनुदेशकों की संख्या– .....

क्र0 स0	भूतपूर्व अनौ0 शिक्षा अनुदेशक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	जाति/ आरक्षण कोटि	गृह जिला	स्थायी पता	पत्राचार का पता	शैक्षणिक योग्यता	चयनपत्र का पत्रांक– दिनांक	किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षो तक लगातार कार्यरत रहने की अवधि कब से कब तक	माननीय सर्वोच्च न्यालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशानुसार दिनांक– 26.02.16 तक दायर CWJC/MJC/SLP संख्या/ वर्ष जिसमें संबंधित अनुदेशक बतौर Petitioner शामील है।	वास्तविक कार्यावधि के समर्थन मे भुगतान संबंधी अभिलेख (बैंक स्टेटमेंट/ भुगतान पंजी/ आदि)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

कार्यक्रम पदाधिकारी (वरीय)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी	अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी